



कुषाण अभिलेखों में वर्णित लोक कल्याणकारी कार्य

कु. पूनम

शोधार्थी, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय,
अमरकंटक, म. प्र., poonamk5013@gmail.com

डॉ. जिनेन्द्र कुमार जैन

सहा. प्रोफेसर, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय,
अमरकंटक, म. प्र., jinendrajainsagar1@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.23281648>

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Received: 22-07-2026

Accepted: 21-08-2026

Published: 25-09-2026

Keywords:

कुषाण, अभिलेख,
जनकल्याण, शासक, राजा,
प्राचीन, ग्रंथ

ABSTRACT

प्राचीन भारतीय नीतिविदों एवं मनीषियों ने एक लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की थी जिसमें राज्य का मुख्य दायित्व प्रजा का सर्वांगीण विकास माना गया। अथर्ववेद, बाहमण साहित्य, धर्मसूत्र, रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, मनु स्मृति, शुक्रनाति, कमन्दक, बृहस्पति, आदि ग्रन्थों में राज्य एवं राजा के कर्तव्यों में जनकल्याण को आदर्श राज्य का प्रमुख मानदण्ड माना गया है। ईसा पूर्व की शताब्दियों में प्राचीन भारत में राज्य के उच्च आदर्श स्थापित हो चुके थे जिसके पुरातात्विक प्रमाण अशोक अभिलेखों से प्राप्त होते हैं जिसमें वह अपनी प्रजा को अपनी संतान निरूपित करता है। अशोक ने जनसामान्य की भौतिक ही नहीं नैतिक उन्नति के अनेक प्रयास किए। अशोक के अभिलेखों के उच्च आदर्शों का अनुकरण करते हुए परवर्ती विदेशी मूल के शासकों ने लोकोपकारी कार्य किए एवं उनका उल्लेख अपने अभिलेखों में करवाया। शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में उसके द्वारा जनकल्याणार्थ स्वव्यय से सुदर्शन झील की मरम्मत कराने का उल्लेख है। इसी तरह कुषाण शासकों ने भी राज्य के प्राचीन भारतीय उच्च आदर्शों को अपनी

Disclaimer: The opinions, interpretations, conclusions, recommendations, analyses, and statements expressed in this research article are solely those of the author(s) and do not reflect the views, policies, or positions of the Publisher, Chief Editor, Editors, Editorial Board, Reviewers, or their affiliated institutions. The author(s) are solely responsible for ensuring the originality, authenticity, and integrity of the manuscript and for ensuring that it is free from plagiarism, AI-generated content, copyright infringement, data falsification, and any other form of academic misconduct.

राष्ट्रनीति में समाहित करते हुए लोकोपकारी कार्यों को महत्व प्रदान किया एवं अपने अभिलेखों में उसको उत्कीर्ण कराया। प्रस्तुत शोधालेख में कुषाण शासकों के जनकल्याणकारी कार्यों को उनके अभिलेखों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

लोक कल्याण का तात्पर्य- किसी राज्य के शासक या प्रशासक द्वारा उसके राज्य में रहने वाली प्रजा या जनसामान्य की जीवन शैली सुगम और सरल बनाने तथा उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर किये जाने वाले कार्य जैसे कि जल आपूर्ति के लिए झीलों का निर्माण, नहर निर्माण, अकाल की स्थिति में राहत कार्य करवाना, भूमि की व्यवस्था, कर को सुव्यवस्थित करना, चिकित्सा सुविधा, इत्यादि लोक कल्याण है।

प्राचीन धर्मग्रन्थों में लोककल्याणकारी या कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दी गयी है। इन ग्रन्थों में राजा के लिए प्रजा के कल्याण हेतु उसके कर्तव्यों के विषय में विभिन्न प्रकार से बताया गया है। वैदिक ग्रन्थों में राजा के कर्तव्यों में प्रजाहित को प्रधानता दी गयी है और कहा गया है कि राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना, प्रजा के साथ पितृवत व्यवहार करना तथा उसे उपयुक्त कार्यों का अवसर प्रदान करना चाहिए। वैदिक काल में राजा निरंकुश नहीं था बल्कि उस पर सभा, समिति, पौर, नगर परिषद, मंत्री परिषद, ऋषि, जनमत आदि अनेक अवरोध थे। राजा को जनता संवक माना जाता था उसे वेतन के रूप में उत्पादन का एक निश्चित प्रतिशत में भाग या कर दिया जाता था। राजा से ट्रस्टी की तरह कार्य करने की आशा की जाती थी। राजा से प्रजा के हित एवं सुविधाओं का ध्यान रखने की अपेक्षा की जाती थी। रामायण में रूप से वर्णित है कि राम अपनी प्रजा को पुत्रवत मानते थे, अरण्यकाण्ड में लिखा है¹ –

अधर्मः सुमहानाथ भवेत्तस्य महीपतेः। यो हरेद् बलि षडभागं न च रक्षति पुत्रवत॥

प्रकार महाभारत के शान्तिपर्व में उल्लेख है-

यथा हि गर्भिणी हित्वा स्वं प्रियं। मनसोऽनुगम यल्लोक हितम् भवेत्॥²

तात्पर्य है कि जैसे गर्भवती स्त्री मनचाहा न करके आरोग्यशास्त्र का पालन करती है, वैसे ही राजा को प्रजाहित के लिए शास्त्रविहित कार्य ही करना चाहिए।

छठी शती ईसा पूर्व के बाद बड़े राज्यों का उदय एवं नगरीकरण हुआ जिससे प्रजा या जनसामान्य की अनेक अपेक्षाएँ एवं आवश्यकताएँ समक्ष आयीं अतः राज्य एवं राजा के कार्यों में विस्तार हुआ। मौर्य काल के आने तक राज्य के कर्तव्यों का क्षेत्र काफी विस्तृत हो चुका था। कौटिल्य के निर्देशन में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन लोक कल्याणकारी था। जनसामान्य के जुड़े सभी विभागों पर कठोर नियंत्रण प्रभावी था जिससे जनसामान्य को कोई कठिनाई न हो। राजा अपने सुख और हित की अपेक्षा प्रजा के सुख और हित का अधिक ध्यान रखता था।

अर्थशास्त्र में वर्णित है³ - 'प्रजा-सुखे सुखं राज्ञः प्रजानां चाहिते हितम्। नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्।।

अर्थात् प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में उसकी भलाई। राजा को जो अच्छा लगे वह हित नहीं अपितु हितकर वह है जो प्रजा को अच्छा लगे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में वर्तमान के लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप जनता को अधिक से अधिक सुविधा एवं सहायता देने का प्रयत्न किया गया था और इस दिशा में पहला कार्य यातायात के मार्गों का निर्माण तथा उनकी सुरक्षा करना था। साम्राज्य के विभिन्न भागों और नगरों को मिलाने के लिए राजपथ और अन्य छोटे-छोटे मार्गों का निर्माण किया गया था जिनके किनारे वृक्ष, कुँए और पंथशालाओं के निर्माण का विधान मिलता है। सिचाई एवं समुन्नत कृषि के प्रयास करना आदि। चन्द्रगुप्त मौर्य के काल के दो अभिलेख सोहगौरा और महास्थान में मिले हैं जिनमें तत्कालीन अकाल की जानकारी प्राप्त होती है। जिससे जन सामान्य के लिए राहत कार्य के लिए राहत सामग्री प्रदान किये जाने का उल्लेख है। यूनानी यात्री मेगस्थनीज लिखता है कि चन्द्रगुप्त वन में रहने वाले तपस्वियों से परामर्श करता था और उन्हें देवताओं की पूजा के लिए नियुक्त करता था। वर्ष में एक बार विद्वानों की सभा बुलाई जाती थी ताकि वे जनहित के लिए उचित परामर्श दे सके। अशोक का शासन-प्रशासन तो जनकल्याणकारी राज्य के आदर्श को ही प्रतिपादित करता है। अशोक ने जनकल्याणकारी कार्यों का उल्लेख सातवें स्तम्भ लेख में किया जिसमें वह कहता है कि मार्गों में मैने वट वृक्ष लगवाये, जिससे वे मनुष्यों एवं पशुओं को छाया दें, लोगों के लिए कुएँ खुदवाये, धर्मशालाएँ बनवायीं।⁴ दूसरे स्तम्भ लेख में उसने पशुओं एवं मनुष्यों के लिए चिकित्सा का प्रबंध किया।⁵ अशोक छठे शिलालेख आदेश एवं कलिंग के दो अभिलेखों में अशोक ने अपने राज्यपद के आदर्श को प्रस्तुत किया है। कलिंग लेख में उसने कहा है कि जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरी संतान इस संसार एवं परलोक में सुख भोगे ठीक वैसे ही मेरी कामना है कि सभी लोग उसी प्रकार सुखी हों। छठे शिलालेख आदेश में मैं अशोक कहता है कि जनसामान्य के किसी भी कार्य के लिए मुझे कभी भी बुलाया जा सकता है कभी भी सम्पर्क किया जा सकता है। मुझे जनता के हित के लिए कार्य करना चाहिए, किन्तु इस कार्य को प्रयत्न से ही पूरा किया जा सकता है। इससे बढ़कर जनता के कल्याण का कोई अन्य मार्ग नहीं।⁶ इसी प्रकार मार्कण्डेय पुराण में प्रजा हित के कार्यों का उल्लेख किया गया है⁷ -

मार्कण्डेय पुराण के अनुसार- राजां शरीरग्रहणं न भोगाय महीपते। क्लेशाय महते पृथ्वी स्वामी परिपालने।।

अर्थात् राजा का शरीर आमोद-प्रमोद के लिए नहीं अपितु प्रजापालन और भूमण्डल पर धर्म रक्षा के लिए एवं क्लेश सहने के लिए बना है।

कलिंग नरेश खारवेल का हाथीगुम्फा लेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ लेख, हिन्द-यवन शासक गोण्डोफर्निस का तख्ते बही लेख इत्यादि हैं जिनमें शासकों द्वारा किये जाने वाले लोक कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख प्राप्त होता है। बंगाल के

वोगरा जिले से प्राप्त अभिलेख में राज्य के अन्न भण्डार से अकाल पीड़ित प्रजा को अन्न वितरित करने का उल्लेख है।⁸

प्रस्तुत शोध पत्र कुषाणकालीन उन अभिलेखों पर आधारित है जिनमें कुषाण शासकों द्वारा किये गये सामाजिक कार्यों का लोक कल्याण के कार्यों का उल्लेख है। मौर्यकालीन शासकों के एक लम्बे अन्तराल के पश्चात् कुषाण वंश का शासन स्थापित हुआ जो प्राचीन इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस वंश के शासक अत्यन्त शक्तिशाली थे जिन्होंने लगभग सम्पूर्ण उत्तर भारत पर राज्य किया और मजबूत साम्राज्य की स्थापना की। इनका राज्य विस्तार भारत के साथ-साथ भारत के बाहर पाकिस्तान, अफगानिस्तान के प्रान्तों तक था। इन कुषाण शासकों में कुजुलकडफिसेस, विमकडफिसेस, कनिष्क, हुविष्क, वाशिष्क, वासुदेव इत्यादि शक्तिशाली शासक हुए। जिन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक कार्यों के साथ-साथ अपनी प्रजा हित हेतु अनेक जन कल्याणकारी कार्यों को भी विशेष महत्व दिया है। इन कार्यों का उल्लेख इनके द्वारा लिखवाये गये लेखों में मिलता है। कुषाण कालीन अभिलेखों में लोक कल्याण सम्बन्धी लेख प्राप्त हुए हैं जिसका यथातथ्य विवरण प्रस्तुत है:-

वाशिष्क का कामरा अभिलेख:-

यह अभिलेख पंजाब, पाकिस्तान के कैम्पबेलपुर से 6 मील दूर स्थित कामरा नामक ग्राम में एक बड़े, टीले के तल से दस मीटर नीचे एक शिला फलक पर लिखा हुआ प्राप्त हुआ है। इसकी भाषा प्राकृत एवं लिपि खरोष्ठी है। यह अभिलेख खण्डित अवस्था में है जिसमें इसकी पहली पंक्ति का कुछ भाग टूटा हुआ है। इसका मूलपाठ इस प्रकार है:-

स 20 विंशटिय जेठ ममस टिवसे त्राटशे 10 महरजस रजतिरजस म ख्हटस,

त्रटरस जयदस दोमदस स्वशखयस महरजस करस कविस ख्स च ध्र-

मयिटस देवपुत्र वझेष्फस गुषनस देवमानुषस पड़ि...जाति कनिष्कस इशे सनमि कुये खनापिदे

यह अभिलेख कुषाण शासक वाशिष्क है जो कि द्वितीय शती ईस्वी प्रारम्भिक चरण है। सामान्य रूप से अभिलेख कुआँ खुदवाये जाने की एक विज्ञप्ति (घोषणा) है।⁹ इस अभिलेख के अनुसार कुषाण शासक वाशिष्क ने अपने पुत्र कनिष्क के जन्म के अवसर पर अपनी प्रजा के जल आपूर्ति हेतु कुआँ खुदवाया था जिससे उसके राज्य में जल की आपूर्ति सरलतापूर्वक की जा सके।

वाशिष्क का मथुरा अभिलेख

यह अभिलेख मथुरा में मथुरी गोवर्धन जाने वाले मार्ग पर स्थित चौरासी जैन मंदिर के निकट एक कुएँ के पास स्तम्भ पर लिखा मिला है। यह अभिलेख कुषाण शासक वाशिष्क का है। इसकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। 'सिद्धम् संवत्सरे 20 गुर्जिये दिवसे अयं पुण्य.....ये च पुराण शत'

यह अभिलेख उन श्रेणी व्यवसायियों की संख्या का उल्लेख करता है जो व्यापार के साथ-साथ बैंकों का कार्य भी करती थी। इस अभिलेख से पता चलता है कि दान में दिये गये धन का उत्तरदायित्व श्रेणियों को ही सौंपा जाता था जिसे अक्षयनीति की संज्ञा दी गयी है। इसमें उल्लेखित है कि इस अक्षयनीवि द्वारा माह में एक बार 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ-साथ भूखे-प्यासे जनों के लिए खाद्य सामग्री और पीने के पानी की व्यवस्था की गई थी।¹⁰

इस लेख में अक्षयनीवि के रूप में दिये गये धन का उल्लेख पुराण के रूप में किया गया है। सिक्कों के रूप में पुराण का उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है। इसका अनुमान चांदी के कार्षापण नामक सिक्कों से है जो कुषाण काल में चांदी के सिक्कों के अभाव में जन सामान्य में प्रचलित रहे होंगे।

कनिष्क तृतीय का आरा अभिलेख:-

यह कुषाणकालीन अभिलेख पाकिस्तान के अटक से दस मील दूर बाग-नीलाब नामक स्थान के आरा नामक एक नाला के पास से प्राप्त हुआ है। इस लेख की भाषा प्राकृत और लिपि खरोष्ठी है। वर्तमान में अभिलेख लाहौर संग्रहालय में रखा है।

महरजस रजतिरस देव पुत्रस, क इ स रस। वझिण्य पुत्रस्य कनिष्कस संवत्सर एक चपरि।।

शए सं 20 20 1 जेठ मसस दिवसे 1इ शं दिवस क्षुणमि खदे। कुपे दषव्हरेन पौष पूरिअ पुत्रण.....

इस लेख में 41 वें वर्ष का उल्लेख है जो शक संवत् में है अतः इसकी तिथि 119 ईसवी है। कुछ विद्वानों ने इसको कुषाण शासक कनिष्क द्वितीय का माना है।¹¹ जबकि कुछ विद्वान इस अभिलेख को कनिष्क तृतीय का मानते हैं जिसकी तिथि लगभग द्वितीय शती ई. के उत्तरार्द्ध की है।

यह अभिलेख मुख्यतः कुआँ खुदवाये जाने की प्रज्ञप्ति है। इसमें कुआँ खुदवाने वाले व्यक्ति को पोषपुरिय-पुत्र कहा गया है जो कि एक व्यक्तिसूचक शब्द है और इसका तात्पर्य सम्भवतः पुरुषपुर (पेशावर) से है और पुत्र का अभिप्राय वहाँ के मूल निवासी के रूप में उल्लेखित है। इस प्रकार देखा जाय तो यह ज्ञात होता है कि कुषाणकालीन शासक वाशिष्क के शासनकाल में पोषपुरिय नामक व्यक्ति द्वारा एक खुदवाया गया था जिससे तत्कालीन जनसामान्य को आवश्यक जल की आपूर्ति हो सके। यह अभिलेख इसी कार्य की घोषणा मात्र है।

निष्कर्ष-



उपर्युक्त अभिलेखों के विवरण से ज्ञात होता है कि कुषाण शासक जिन्हें विदेशी शासकों के रूप में इतिहास में जाना जाता है, अपनी योग्यता के द्वारा प्राचीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। इन्होंने राजनीतिक कार्यों के साथ-साथ तत्कालीन समाज संस्कृति एवं आर्थिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया और साथ ही उन्होंने भारतीय परम्परा एवं आदर्शों का अनुसरण करते हुए लोक कल्याण सम्बन्धी कार्यों को भी प्रोत्साहित एवं सम्पादित किया, जिसका उल्लेख तत्कालीन अभिलेखों (वाशिष्क का कामरा लेख, वाशिष्क का मथुरा लेख, कनिष्क तृतीय आरा अभिलेख में प्राप्त होता है।

सन्दर्भ-

1. रामायण, अरण्यकाण्ड; 6/11
2. अर्थशास्त्र; 1/19
3. महाभारत शांतिपर्व, 54/45-4, गोरखपुर प्रेस, 1948
4. पाण्डेय, विमलचन्द; प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, सेन्ट्रल बुक डिपो इलाहाबाद, 1968, पृ. 461
5. पाण्डेय, विमलचन्द; पूर्वोक्त, पृ. 461
6. महाजन, विद्याधर, प्राचीन भारत का इतिहास, आठवाँ संस्करण, एस. चन्द एण्ड कम्पनी, रामनगर, नई दिल्ली, 1993, पृ. 201
7. मार्कण्डेय पुराण, 24/12
8. उपाध्याय, वसुदेव; प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन, मोतीलाल बनारसीदास दिल्ली, 1961, पृ. 25
9. गुप्त, परमेश्वरीलाल ; प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख, भाग-1, विश्वविद्यालय प्रकाशन, चौक, वाराणसी, सप्तम संस्करण 2014, पृ0 153-157
10. गुप्त, परमेश्वरीलाल ; पूर्वोक्त, पृ0 162-164
11. गोयल, श्रीराम; प्राचीन भारतीय अभिलेख संग्रह, खण्ड-1, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 1982 पृ. 257-258